

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 35 / 2010 / जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी
विशेष वृत्त-तृतीय, जयपुर

अपीलीर्था

मैसर्स ऑटो मेलेबल
जयपुर

बनाम

प्रत्यर्था

क्रास आब्जेक्शन संख्या 365 / 2010 / जयपुर

मैसर्स ऑटो मेलेबल
जयपुर

अपीलीर्था

वाणिज्यिक कर अधिकारी
विशेष वृत्त-तृतीय, जयपुर

प्रत्यर्था

बनाम

खण्डपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक
श्री डी कुमार
अभिभाषक

विभाग की ओर से


व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक 12.11.14

निर्णय

अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स-चतुर्थ), जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2009 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 05 / सी.एस.टी. / अपील्स-IV / 2009-10 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 58, 61 व 55 सपटित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम") की धारा 9 के तहत निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 18.02.2009 में कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करने को चुनौती दी गयी है। इसी प्रकार, व्यवहारी द्वारा भी इस संबंध में "क्रॉस आब्जेक्शन" प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी है।

चूंकि प्रस्तुत अपील व "क्रॉस आब्जेक्शन" में विवादित बिन्दु सादृश्य है। अतः इनका निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय क्री प्रतिर अपील एवं क्रॉस आब्जेक्शन पर पृथक से रखी जा रही है।

 2-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन प्रथम, जयपुर द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसायिक संबन्धवहाराओं की जांच करने पर कर अपवंचन का मामला बनने पर दिनांक 25.02.2008 को केन्द्रीय अधिनियम सपठित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम व द्वितीय तिमाही के कर निर्धारण हेतु पृथक-पृथक नोटिस जारी किये गये। नोटिस में यह अंकित किया गया कि वक्त जांच पाये गये दस्तावेजों में माल को स्टॉक ट्रांसफर करना दर्शाया गया है जबकि अन्तर्राज्जीय विक्रय किया जाना प्रमाणित होता है, इस प्रकार दोषी मनोभाव एवं करापवंचन की मंशा से स्टॉक ट्रांसफर की आड में अन्तर्राज्जीय विक्रय करके करापवंचन का कृत्य किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा नोटिस के जवाब में बताया गया कि उसके द्वारा विवादित माल सीधे मारुति उद्योग को नहीं भेजा जाता है बल्कि अपनी ब्रांच को भेजा जाता है जहां पर उसे डालकर संग्रहण किया जाता है तत्पश्चात् ब्रांच पर प्राप्त कर आदेशों की आपूर्ति ब्रांच पर पूर्व में उपलब्ध स्टॉक में से की जाती है जिनके बिल ब्रांच द्वारा ही बनाये जाते हैं जिनमें हरियाणा राज्य का कर वसूल किया जाकर कराया जाता है। उक्त जवाब को अमान्य करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माना गया कि मैसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड, गुडगांव (हरियाणा) के उद्योग में उपयोग हेतु मोटर वाहन के पार्ट्स का विनिर्माण करता है तथा उनके जयपुर स्थित व्यवसाय स्थल से विशिष्ट माल का अन्तर्राज्जीय विक्रय किया जाता है इस प्रकार व्यवसायी ने अन्तर्राज्जीय विक्रय करके कर का अपवंचन किया है। इस कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2006-07 केन्द्रीय अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपठित अधिनियम की 25 के अन्तर्गत कर निर्धारण किये जाने की समय सीमा बढ़ाने हेतु निवेदन करने पर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने आदेश क्रमांक एफ 16(184) (Limitation)/Tax/CCT/08 Date 23-08-2008 द्वारा दिनांक 24.08.2008 से 6 माह की अवधि के लिए बढ़ा दी तथा इस प्रकरण को आदेश दिनांक 30.08.2008 के द्वारा प्रत्यर्थी व्यवसायी के निवेदन पर नियमित अधिकारी, कर निर्धारण अधिकारी वाणिज्यिक को स्थानान्तरित कर दिया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2006-07 की विवरणी में घोषित स्टॉक ट्रांसफर की राशि ₹6,20,47,407 /-को, जांच रिपोर्ट में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अन्तर्राज्जीय विक्रय मानकर 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया जाना, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 सपठित अधिनियम की धारा 25 व धारा 61 के अन्तर्गत कर की दोगुनी शक्ति, धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज आरोपित करने हेतु सुनवाई को नोटिस जारी किया गया, उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अमान्य करते हुए ₹3,61,63,679 पर 4 प्रतिशत की दर से कर ₹14,46,547 /- अतिरिक्त कर सी फार्म पेश नहीं करने पर

₹621948 / - अस्वीकृत शाखा स्थानान्तरण पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर ₹77,55,925 / - व अनवर्ती ब्याज ₹23,58,709 / - अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति रु ₹1,55,11,851 / - , विक्रय वापसी पर अतिरिक्त कर ₹43,302 / - आरोपित करते हुए कुल ₹2,77,38,282 / - की मांग सृजित की गई। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सृजित मांग के विरुद्ध ₹13,89,280 / - जमा कराये गये अतः शेष ₹2,55,14,255 / - की मांग कायम की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधन आदेश के द्वारा सी फार्म से सम्बन्धित एवं विक्रय वापसी से संबंधित अतिरिक्त कर व ब्याज की मांग को शेष सृजित मांग में करते हुए 2,55,14,255 / - की मांग कायम की गई। उक्त सृजित मांग को अपीलीय अधिकारी के समक्ष करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अन्तर्राज्तीय विक्रय नहीं मानकर ब्रांच कर / स्टॉक ट्रांसफर मानते हुए उक्त सृजित मांग को अपास्त कर दिया गया। फलस्वरूप, अपीलार्थी प्रत्याक्षेपी निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त की गयी मांग राशियों के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है तथा प्रत्यर्थी प्रत्याक्षेपकर्ता व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश की पूर्ति करने की प्रार्थना की गयी है।

अपीलार्थी-विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा माल का विक्रय अन्तर्राज्तीय विक्रय के क्रम में किया गया है ब्रांच ऑफिस गुडगांव को सप्लाइ नहीं किया गया है। उनका कथन है कि मैसर्स मारुति उद्योग द्वारा विशिष्ट डिजाईन का माल (कन्टेनर्स, पैकिंग बाक्सेज इत्यादि) निर्माण करने हेतु प्रत्यर्थी व्यवसायी जयपुर को आदेश दिया गया है और उसी माल के निर्माण हेतु कच्चा माल खरीद कर दिये गये आदेश के अनुसार निर्मित किया जाकर मारुति उद्योग, गुडगांव को अन्तर्राज्तीय विक्रय के क्रम में किया गया है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा अपनी मर्जी से माल का निर्माण नहीं किया गया जिससे यह नहीं माना जा सकता कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा निर्मित माल का स्टॉक ट्रांसफर / ब्रांच ट्रांसफर के रूप में माल को भेजा गया है उनका कथन है कि ब्रांच ऑफिस, गुडगांव मात्र डिलीवरी एजेन्ट के रूप में कार्य करता है और एजेन्ट के रूप में करने वाले ऑफिस द्वारा बिल जारी नहीं किये जाते है जिससे स्पष्ट है कि स्टॉक ट्रांसफर की आड में करापवचन किया जाना प्रमाणित होता है। उनका यह भी कथन है कि उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा ब्रांच ट्रांसफर के बहाने अन्तर्राज्तीय विक्रय कर करापवचन किया गया है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग विधिक है। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए विद्वान उपायुक्त अपीलार्थी द्वारा अन्तर्राज्तीय विक्रय को ब्रांच ट्रांसफर मानकर सृजित मांग को अपास्त किया है जो पूर्णतः अनुचित है। उन्होंने उक्त कथनों के आधार पर अपीलीय

अधिकारी के आदेश को अपास्त करके कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवसायी प्रतिआपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनो के पार्ट्स का निर्माण व विक्रय का व्यवसाय किया जाता है। उन्होंने बताया कि फलाई व्हील्स का विक्रय प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा मुख्य रूप से मारुति उद्योग, होण्डा सील पावर प्रोजेक्ट लि. रुद्रपुर, उत्तरांचल, आयशर मोटर्स तथा अन्य व्यवसायियों को विक्रय किया जाता है। प्रत्यर्थी व्यवसायी राजस्थान एवं गुडगांव (हरियाणा) में पंजीकृत है। उनका कथन है कि मारुति उद्योग द्वारा फलाई व्हील्स की खरीद हेतु विभिन्न निर्माताओं को रिकॉगनाईज कर रखा है जिसमें प्रत्यर्थी व्यवसायी भी एक है। मारुति उद्योग अपनी आवश्यकतानुसार वेब साईट पर प्रतिदिन शाम को खरीद आदेश देता है जिसके अनुसार बताये गये समय पर दूसरे दिन दोपहर 12 बजे या 3 बजे तक फलाई व्हील्स को सप्लाय आवश्यक रूप से देनी होती है नहीं तो आदेश कन्सिल किया जाकर दूसरे को आदेश दिया जाता है। उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी गुडगांव ब्रांच पर उपलब्ध अपने स्टॉक में से आदेश के अनुसार फलाई व्हील्स की मारुति उद्योग को बिल बनाकर विक्रय करती है जिस पर हरियाणा वेट एक्ट के अन्तर्गत देय कर वसूल किया जाता है तथा हरियाणा राज्य में जमा कराया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि गुडगांव ब्रांच पर प्राप्त माल, उसके विक्रय तथा स्टॉक में रहे माल की सूचना नियमित रूप से हरियाणा कर निर्धारण अधिकारी व एक्ससाईज विभाग को दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रांच ट्रांसफर के संबंध में 18सी/वेट-49 व फार्म एफ नियमित रूप से जारी किये जाते हैं इसलिए स्टॉक ट्रांसफर को अन्तर्रज्जीय विक्रय मानना अविधिक है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा निर्मित अपनी ब्रांच को भेजा जाता है जहां पर उसे खोलकर संग्रहण किया जाता है तत्पश्चात ब्रांच पर प्राप्त कय आदेशों की आपूर्ति ब्रांच पर पूर्व में उपलब्ध स्टॉक में से की जाती है जिनके बिल ब्रांच द्वारा ही बनाये जाते हैं जिनमे हरियाणा राज्य का कर वसूल किया जाकर जमा कराया जाता है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा उक्त कथन के समर्थन में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे जिनको बिना जांच के ब्रांच ट्रांसफर को अन्तर्रज्जीय विक्रय मानकर करपवचन मानकर गांग सृजित की गई है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के स्तर पर दिये गये तर्कों पर दोहराते हुए अपने कथन के समर्थन में माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रकरण में ही पारित निर्णय दिनांक 23.06.2011 अपील संख्या 279 / 2010 / जयपुर व प्रत्याक्षेप आप्रन संख्या 1084 / 2010 / जयपुर को प्रोद्धारित कर,



हस्तगत प्रकरण भी समान बिन्दुओं पर होने का कथन कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रत्याक्षेप ज्ञापन संख्या 365/2010/जयपुर को माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी:- टाटा इन्जीनियरिंग लोकामोटिव्स लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जमशेदपुर एवं अन्य (26 एस टी सी 354 (सुप्रीम कोर्ट), कलवीनेटर आफ इण्डिया लिमिटेड बनाम द स्टेट आफ हरियाणा ((1978) 32 एस टी सी 629 (सुप्रीम कोर्ट), स्टेट आफ तमिलनाडु बनाम सीमेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि.एवं अन्य (1975) 36 एस टी सी 389 (सुप्रीम कोर्ट), सी.पी.के. ट्रेडिंग कम्पनी बनाम अतिरिक्त सेल्स टैक्स आफ्रीसर, तृतीय वृत्त, मैटनचेरी एवं अन्य (1990) 76 एस टी सी 211 (केरला), इण्डियन ड्रुपलीकेटर्स लिमिटेड बनाम स्टेट आफ तमिलनाडु (1984) 57 एस टी सी 263 (मद्रास), सेन्ट्रल डिस्टलरी एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड बनाम आयुक्त, ट्रेड टैक्स, यू.पी.लखनऊ (1999) 115 एस टी सी 296 (इलाहाबाद), स्टेट आफ आन्ध्र प्रदेश बनाम कोरोमण्डल पेन्ट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (1995) 98 एस टी सी 98 (आन्ध्र प्रदेश), यूनाइटेड इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज बनाम आयुक्त, सेल्स टैक्स 1980 यू पी टी सी 1217 (इलाहाबाद), आयुक्त, सेल्स टैक्स बनाम हिन्दू लैम्पस लिमिटेड, मैनपुरी 1983 यू पी टी सी 1056 (इलाहाबाद), (1990) 79 एस टी सी (एफआरएससी-19) पेज 5 आदि न्यायिक दृष्टान्तों के उद्धरण प्रस्तुत करते हुए विद्वान अपीलीय अधिकारी के आदेशों को उचित बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर कास आब्जेक्शन स्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल, जयपुर से निर्मित माल का अपने ब्रांच ऑफिस गुडगांव को स्टॉक ट्रांसफर किया जाता है और ब्रांच ऑफिस कय आदेश के अनुसार स्टॉक में उपलब्ध का विक्रय किया जाता है जिसके लिए कर वसूल कर हरियाणा राज्य में जमा कराया गया है। उपायुक्त, अपीलस के आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विद्वान उपायुक्त, अपीलस द्वारा हमारे समक्ष उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों को अपने आदेश में उद्धरित करते हुए उन पर समग्र रूप से विचार करने के उपरान्त अन्तर्राज्यीय विक्रय एवं ब्रांच ट्रांसफर/स्टॉक ट्रांसफर पर निष्कर्ष देते हुए निम्न प्रकार से आदेश पारित किया है

“कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि सर्वेक्षण दिनांक 03.01.2007 को किया गया था जिसमें वर्ष 2007-08 से संबंधित किसी भी संव्यवहार के संबंध में जांच किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है तथा बाद

में भी नोटिस जारी करने से पूर्व व वाद वर्ष 2007-08 के किसी भी संव्यवहार के संबंध में कोई जांच नहीं की गयी है। कर निर्धारण पत्रावली व जांच पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता है कि राज्य से माल का गमन किसी विक्रय संविदा के तहत किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी की जांच से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अपीलार्थी द्वारा माल नियमित रूप से ब्रांच को भेजा जाता है जहां पर उस माल को उतारा जाता है तथा माल का इन्द्राज ब्रांच के स्टॉक रजिस्टर में किया जाता है। कोई भी माल सीधे मारुती उद्योग के नहीं भेजा गया। ब्रांच पर पर्याप्त माल को ब्रांच पर खोला जाता है तथा संग्रहण किया जाता है। ब्रांच पर प्राप्त कय आदेशों की आपूर्ति ब्रांच पर पूर्व में उपलब्ध स्टॉक में से की जाती है जिनके बिल ब्रांच द्वारा बनाये जाते हैं जिनमें हरियाणा राज्य का कर वसूल किया जाकर जमा कराया गया है। अपीलार्थी द्वारा निर्मित फलाई व्हील्स न केवल मारुती उद्योग का बल्कि अन्य व्यवहारियों जैसे मोटर व्हीकल पार्ट्स के डीलर, सर्विस सेन्टर इत्यादि को विक्रय किये जाते हैं। इन तथ्यों को कर निर्धारण अधिकारी ने भी विवादित नहीं किया है। अपीलार्थी ने सभी ब्रांच ट्रांसफर के 'एफ' फार्मस प्रस्तुत कर दिये हैं जिनमें उल्लेखित विवरणों को कर निर्धारण अधिकारी ने गलत या असत्य साबित नहीं किया है। सौदा संव्यवहार के संबंध में 'एफ' फार्म प्रस्तुत किये जाने के बाद कर निर्धारण अधिकारी को केवल मात्र उद्धरित निर्णयों के अनुसार यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि प्रस्तुत 'एफ' फार्म असत्य या गलत तो नहीं हैं 'एफ' फार्म का प्रस्तुत किया जाना सौदा संव्यवहार की पूर्ण पुष्टि करता है। कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत 'एफ' फार्मों को अपने आदेश में अस्वीकार नहीं किया और न ही अस्वीकार किये जाने का कोई कारण बनता है। इस तथ्य की पुष्टि उपरोक्त अंकित 76 STC 211 (Kerala) निर्णय से होती है। कर निर्धारण अधिकारी का दायित्व था कि वह साक्ष्य से यह साबित करते कि माल का राज्य से गमन किसी विक्रय आदेश के तहत या उसकी पूर्ति हेतु किया गया है जिसे साबित करने में कर निर्धारण अधिकारी पूर्णतः असफल रहे हैं। ऐसे किसी साक्ष्य के अभाव में कर आरोपण तथा उस पर ब्याज की पुष्टि नहीं की जा सकती है"।

"जहां तक शास्ति का प्रश्न है अपीलार्थी ने प्रारम्भ से ही ब्रांच खोलने की सूचना कर निर्धारण को प्रस्तुत की दी थी तथा समय समय पर विवरणियों में ब्रांच ट्रांसफर प्रदर्शित किया है। कोई भी संव्यवहार लेखा पुस्तकों के बाहर नहीं है। अपीलार्थी यदि राजस्थान से अन्तर्राज्यीय विक्रय करता है तो 'सी' फार्मस पर 4 प्रतिशत की दर से कर देय होता जबकि गुडगावां ब्रांच के विक्रय पर अपीलार्थी ने कुछ माल पर 4 प्रतिशत व कुछ माल पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर अदा किया है



अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी की कर बचाने की दुर्भावना थी। अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उद्धरित निर्णयों के मद्देनजर तथ्यों पर व विधिक रूप से शास्ति आरोपण, उपरोक्तानुसार कर व ब्याज के अपास्त किये जाने के फलस्वरूप न्यायसंगत नहीं है "।

पूर्व विवेचित उपायुक्त, अपीलस के आदेश से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात सृजित मांग को अपास्त किया है जिसमें यह पीठ हस्तक्षेप योग्य कोई त्रुटि अनुभव नहीं करती। पीठ के समक्ष उपलब्ध रिकॉर्ड पर ऐसा कोई आदेश या बिल नहीं है जिससे यह ज्ञात होता हो कि मारुति उद्योग अथवा अन्य फर्म के द्वारा प्रत्यर्थी व्यवसायी जयपुर को कोई क्य आदेश दिया गया हो बल्कि स्टॉक रजिस्टर एवं सेल रजिस्टर की छाया प्रतियां जो पत्रावली पर उपलब्ध है उनसे यही ज्ञात होता है कि माल स्टॉक ट्रांसफर ऑफिस गुडगांव भेजा गया है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी की इस अवधारणा को बल नहीं मिलता है कि माल का अन्तर्राज्जीय विक्रय किया जाकर करापवंचन की गयी है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों की समीक्षा विद्वान अपीलीय अधिकारी का आदेश उचित है इसलिए उपायुक्त, अपीलस के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत प्रत्याक्षेप ज्ञापन को उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।



(सुनील शर्मा)
सदस्य



(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष